भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3563
दिनांक 24.07.2019/2 श्रावण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

मध्य प्रदेश में जन्म और मृत्यु दर्ज करना

†3563. श्री अजय प्रताप सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा जन्म और मृत्यु रिकार्ड का पंजीयन करा रही है;
(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में डाटा एंट्री प्रबंधकों के वेतन के भुगतान पर रोक लगा दी गई है; और
(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त रिकार्ड के ऑनलाइन पंजीयन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, यदि कोई है, का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 3(3) के तहत भारत के महारजिस्ट्रार को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु की गतिविधियों को समन्वित और एकीकृत करने के लिए कदम उठाने और जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के संबंध में सामान्य निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली का ऑनलाइन साफ्टवेयर www.crsorgi.gov.in पर उपलब्ध है और भारत के 22 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग): वह योजना जिसके अंतर्गत सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आंकड़ा संसाधन सहायकों की सेवाएं भाड़े पर ली जा रही थीं, 31.03.2017 को समाप्त हो गयी।

*****